न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 119/2023
अनवान : –

1. समरजीत पुत्र कालुराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. कालुराम पुत्र झिण्डुराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. मनजीत पुत्र कालुराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा हाई सैकेण्डरी स्कूल के सामने नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. पंजीयन कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **वादी**
श्री रविन्द्र कुमार गोदार अधिवक्ता प्रतिवादी स0 1

निर्णय दिनांक: 09/09/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं. 71/64 के ख.न. 416 की 7.6130 हैक्टर भूमि में से 2036/38065 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं. 322/302 के ख.न. 101 की 17.8820 हैक्टर भूमि में 1/50 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा हैं वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा झिण्डुराम पुत्र कुरड़ाराम के नाम दर्ज थी झिण्डुराम के देहान्त के बाद विरासतन प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। इसलिए रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं. 71/64 के ख.न. 416 की 7.6130 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 20[illegible]3[illegible]5 हिस्सा भूमि हिस्से में में वादीया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब [illegible] 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नो[illegible] के खाता सं. 322/3[illegible] ख.न. 101 की 17.8820 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/50 हिस्सा भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:35:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ता 2 ब.हि.ब. यानि प्रत्येक का 1/3. 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार हैं उपरोक्त आशयों की वादीया घोषणा करवा पाने का अधिकारी हैं। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार गोदारा उपस्थित। प्रतिवादी स0 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादी स0 एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है मैरिट के आधार पर वाद का निस्तारण किया जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की मैरिट के आधार पर वाद का निस्तारण किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं. 71/64 के ख.न. 416 की 7.6130 हैक्टर भूमि में से 2036/38065 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं. 322/302 के ख.न. 101 की 17.8820 हैक्टर भूमि में 1/50 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 71/64 के ख.न. 416 की 7.6130 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 2036/38065 हिस्सा भूमि हिस्से में में वादीयान व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. यानि प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:35:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

लाखासर तहसील नोहर के खाता सं. 322/302 के ख.न. 101 की 17.8820 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/50 हिस्सा भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. यानि प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:35:39 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या – 119/2023
अनवान : –

1. समरजीत पुत्र कालुराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. कालुराम पुत्र झिण्डुराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. मनजीत पुत्र कालुराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा हाई सैकेण्डरी स्कूल के सामने नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. पंजीयन कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 119 सन 2023 निर्णय दिनांक 09/09/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगीलाल देहडू एवं वकील प्रतिवादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीग साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 71/64 के ख.न. 416 की 7.6130 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 2036/38065 हिस्सा भूमि हिस्से में में वादीया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. यानि प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता सं. 322/302 के ख.न. 101 की 17. 8820 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1/50 हिस्सा भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. यानि प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.09.12 15:35:39 IST
Reason: SelfAttested